

न्यायालय जिला कलक्टर, धौलपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :- शुचि त्यागी, आई.ए.एस., जिला कलक्टर धौलपुर

अपील नम्बर :- 162/2017

उनवानी प्रकरण :-

खैमा पुत्र सरवन जाति मीना निवासी ग्राम चन्द्रावली तहसील सरमथुरा जिला धौलपुर
----- अपीलान्त।

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सरमथुरा तहसील सरमथुरा जिला धौलपुर
----- रेस्पोडेण्ट।

अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 26.10.2017

तहसीलदार सरमथुरा प्र.सं. 47/2017

उनवानी राजस्थान सरकार बनाम खैमा

अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :-

1. अपीलान्त की ओर से :- श्री रामवकील सिंह गुर्जर अभिभाषक।
2. रेस्पोडेण्ट की ओर से :- श्री गोपाल नारायण शर्मा राजकीय अभिभाषक।

निर्णय दिनांक :-29.12.2017

निर्णय

अपीलान्त द्वारा यह अपील तहसीलदार सरमथुरा के निर्णय दिनांक 26.10.2017 से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की है, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं, कि अपीलान्त ग्राम चन्द्रावली तहसील सरमथुरा जिला धौलपुर का निवासी है जो मजदूरी कर अपना व अपने परिवार का पालना पोषण करता है। अपीलान्त ने आराजी खसरा नम्बर 727 रकबा 0.27 है० किस्म बारानी सोयम वाके ग्राम सरमथुरा जिला धौलपुर में से 0.03 है० आराजी पर कोई कब्जा नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्त द्वारा उक्त आराजी पर पक्की दुकान व पत्थर डालकर अतिक्रमण करना अंकित किया है। पटवारी हल्का द्वारा मौका देखे बिना गलत तथ्य अंकित करते हुए रिपोर्ट पेश की है। अधीनस्थ न्यायालय ने गलत तथ्यों के आधार पर आदेश पारित किया है जो गलत और निराधार है। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 26.10.2017 खारिज किया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट को नोटिस जारी कर तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। रेस्पोडेण्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री गोपाल नारायण शर्मा उपस्थित हुये। अधीनस्थ न्यायालय से पत्रावली प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की गयी।

(शुचि त्यागी)
जिला कलक्टर
धौलपुर



अपीलान्ट ने अपनी अपील के समर्थन में प्रमाणित प्रतिलिपि आदेश दिनांक 26.10.2017 की प्रमाणित प्रति पेश की।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान अपील में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को विवादित आराजी पर पक्का निर्माण कर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी मानते हुए शास्ती एवं एक माह के कारावास से दण्डित करने का आदेश पारित किया है, जो अवैध है। अपीलान्ट पश्चात्वर्ती अतिक्रमी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे यह सिद्ध हो सके कि अपीलान्ट पश्चात्वर्ती अतिक्रमी है। अपीलान्ट के विरुद्ध पटवारी हल्का ने गलत व झूठे तथ्यों के आधार पर उक्त कार्यवाही की है जो अवैधानिक है। अपीलान्ट ने न्यायालय के समक्ष इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया है कि विवादित आराजी का कब्जा छोड़ दिया है, भविष्य में कभी कब्जा नहीं करेगा। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 26.10.2017 खारिज किया जावे।

रैस्पोंडेंट के विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान कथन किया, कि अपीलान्ट विवादित आराजी पर बार-बार अतिक्रमण करने का आदी है, जिसकी पुष्टि पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं बयान से होती है। अपीलान्ट को उक्त आराजी से दिनांक 04.07.2016 को भी पटवारी हल्का सरमथुरा द्वारा बेदखल किया गया था। जिसकी पुष्टि पटवारी हल्का सरमथुरा की दैनिक डायरी से होती है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में किसी प्रकार की कोई कानूनी भूल नहीं की गई है। निर्णय पूर्ण रूपेण सही है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 26.10.2017 यथावत रखा जावे।

दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। बहस सुनने एवं उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन कर मनन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि :-

1. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध पटवारी हल्का की रिपोर्ट, बयान एवं पटवारी हल्का सरमथुरा की दैनिक डायरी से यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट विवादित भूमि पर पूर्ववर्ती अतिक्रमी है।
2. अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है कि अपीलान्ट ने विवादित आराजी से कब्जा छोड़ दिया है। तथा भविष्य में कभी कब्जा नहीं करेगा।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलान्ट को दी गई सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर निरस्त की जाती है कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र के सम्बन्ध में तहसीलदार सरमथुरा मौके पर जाकर पुष्टि करेंगे कि

(शुचि त्यागी)
जिला कलक्टर
धीलपुर



वास्तव में अपीलान्त का कब्जा नहीं है। यदि अपीलान्त शपथ-पत्र प्रस्तुत करने के बाद भी पुनः अतिक्रमण कर कब्जा करता है तो उसे दी गई सिविल कारावास की सजा का आदेश यथावत बहाल रहेगा तथा झूठा शपथ-पत्र प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में तहसीलदार अपीलान्त के विरुद्ध नियमानुसार अलग से कार्यवाही करेंगे। शेष निर्णय यथावत रहेगा। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं असल शपथ पत्र निर्णय की प्रति के साथ वापिस भिजवाए जावे। शपथ पत्र की प्रमाणित प्रति पत्रावली में सुरक्षित रखी जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार हो। बाद तकमील दाखिल दफ़्तर हो। पत्रावली नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 29.12.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(शुचि न्यायिणी)
जिला कलसिकर कासगढ़
घाज़पुर